पत्रांक–2ब०/जला०–01–01/2016 718 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चैतन्य प्रसाद,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम।
कार्यपालक पदाधिकारी,
सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत।

पटना, दिनांक–6/10/16

विषय:– **मुख्यमंत्री के 07 निश्चय योजनान्तर्गत "हर घर नल का जल" के कार्यान्वयन हेतु प्रारंभिक तैयारियो के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजनान्तर्गत "हर घर नल का जल" योजना को मार्च, 2020 तक पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना है। अतः प्रत्येक नगर निकाय द्वारा इस निश्चय को चरणबद्ध रूप से पूर्ण करने हेतु योजना बनाकर कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। नगर निकायों के लिए तकनीकी स्वीकृति सहित मॉडल प्राक्कलन एवं स्टैण्डर्ड निविदा प्रपत्र बनाये जा रहे हैं, जो शीघ्र ही सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराये जायेंगे। इससे पूर्व सभी नगर निकायों को निम्न प्रारंभिक तैयारियाँ पूर्ण करनी हैं:–

1. ऐसे सड़कों को चिह्नित कर लें जहाँ पाईप लाईन पहले से ही बिछाई गयी हो और उन सड़कों पर स्थित घरों में केवल पेयजल कनेक्शन ही दिया जाना है। सड़क–वार वांछित कनेक्शन की संख्या को चिह्नित कर लें।

2. ऐसी योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा या बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा हाल ही में पूर्ण कर ली गयी हैं किन्तु नगर निकाय को हस्तांतरित नहीं की गयी है। इनमें कनेक्शन का प्रावधान किया हुआ है या नहीं, देख लें और यदि नहीं हो तो वांछित कनेक्शन की संख्या का आकलन सर्वे के आधार पर कर लें।

3. ऐसी योजनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा या बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है किन्तु पूर्ण नहीं हुई है। इनमें शेष कार्य का आकलन कर लें।

4. ऐसे वार्ड एवं परिवारों को चिह्नित कर लें और सूचीबद्ध कर लें जहाँ अभी तक पेयजल पाईप लाईन नहीं बिछाई गयी है। छोटी से छोटी सड़क को भी अवश्य शामिल करें। मई–जून, 2016 में किये गये सर्वे के आँकड़ों को आधार बनाया जा सकता है।

5. सभी वार्डो, सड़कों जहाँ पाईप लाईन नहीं बिछाई गयी हो एवं घरों जिनमें पेयजल कनेक्शन नहीं है, तो वार्ड के अंतर्गत 250, 500, 1000 अथवा 1500 घरों के समूह में विभाजित कर लें। इसके लिए भूमि की उपलब्धता एवं वार्ड के आकार को ध्यान में रखा जाय। विशिष्ट परिस्थिति में अन्तर–वार्ड समूह भी बनाये जा सकते है।

6. "हर घर नल का जल" निश्चय के लिए अलग खाता खोल लें और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी राशि तथा 14वाँ वित्त आयोग एवं पंचम् राज्य वित्त आयोग की कर्णांकित राशि को उक्त खाते में स्थानांतरित कर लें।

उपरोक्त प्रारंभिक तैयारियाँ 07 दिवस में पूर्ण कर लें और विस्तृत मार्गदर्शिका, मॉडल प्राक्कलन एवं स्टैण्डर्ड निविदा प्रपत्र प्राप्त होते ही निविदा का प्रकाशन कर दें। कृपया प्रारंभिक तैयारियाँ पूर्ण कर अविलम्ब विभाग को सूचित करें।

विश्वासभाजन,

6/10/2016

सरकार के प्रधान सचिव।